20.6.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत एड सिणधरी में पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड नोटिस तलबी करवाई गई थी। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिली श्रेणी में है। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया। और शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत/कोर्ट केम्प–अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत एड सिणधरी)
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 46/2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.जालाराम पुत्र हेमाराम 2.हनुमानराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी विष्णु मन्दिर का वास तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		1.जगमालराम पुत्र वनाराम 2.भूराराम पुत्र करनाराम 3.जुगताराम 4.चूनाराम पिसरान नगाराम 5.सुआदेवी पत्नि नगाराम 6.धनाराम पुत्र हीराराम 7.आसुराम. पुत्र हीराराम जाति सुथार निवासी विष्णु मन्दिर का वास 8.जोगाराम पुत्र राकेशन 9.मानाराम पुत्र कुम्भाराम 10.माडूदेवी पत्नि ठाकराराम जाति जाट निवासी विष्णु मन्दिर का वास 11.खेतसिंह पुत्र लालसिंह 12.उगमकंवर पत्नि लालसिंह 13.पाबूकंवर पत्नि रूपसिंह 14.जालमसिंह 15.हड़मतसिंह पिसरान विरदसिंह 16.उगमकंवर पत्नि विरदसिंह 17.गणपतसिंह 18.बेरीयालसिंह 19.ईश्वरसिंह 20.श्रवणसिंह पिसरान रूपसिंह 21.पबूकंवर पत्नि रूपसिंह 22.भीखसिंह पुत्र खीमसिंह

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

23.मोहनकंवर पत्नि खेमसिंह

24.खेतसिंह

25.सोमन्तसिंह

26.थानसिंह पिसरान सांगसिह

27.दरियाकंवर पत्नि सांगसिंह

28.मलसिंह

29.धनसिंह पिसरान सूरतानसिंह

30.उकसिंह गोदपुत्र भंवरसिंह

31.सूरजकंवर पत्नि भवंरसिंह

32.जीवराजसिंह

33.पूरसिंह

34.खेतसिंह पिसरान लालसिंह

जाति राजपूत निवासी डाबड़ भाटियान

तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

35.तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री भंवरलाल सारण,अधिवक्ता प्रार्थीनी की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक–20.6.2018

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम विष्णु मन्दिर का वास पटवार क्षेत्र एड सिणघरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 71,72,72/2 कुल रकबा 48–02 बीधा एवं खसरा संख्या 72/1,72/3 कुल रकबा 47–18 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा अपनी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

खातेदारी भूमि ग्राम विष्णु मन्दिर का वास पटवार क्षेत्र एड सिणघरी तहसील .धरी की खेत खसरा संख्या 71,72,72/2 कुल रकबा 48–02 बीधा एवं खसरा संख्या /2/1,72/3 कुल रकबा 47–18 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। लेकिन विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम विष्णु मन्दिर का वास पटवार क्षेत्र एड सिणघरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 71,72,72/2 कुल रकबा 48–02 बीधा एवं खसरा संख्या 72/1,72/3 कुल रकबा 47–18 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम विष्णु मन्दिर का वास पटवार क्षेत्र एड सिणघरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 71,72,72/2 कुल रकबा 48–02 बीधा एवं खसरा संख्या 72/1,72/3 कुल रकबा 47–18 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावें।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम विष्णु मन्दिर का वास पटवार क्षेत्र एड सिणघरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 71,72,72/2 कुल रकबा 48–02 बीधा एवं खसरा संख्या 72/1,72/3 कुल रकबा 47–18 बीधा भूमि अवस्थित है। जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2073 से 2076 से प्रमाणित होता है। इस कारण प्रार्थीगण काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्राथीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

रा भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नहीं होगीं। ऐसी सूरत में उक्त की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम विष्णुमन्दिर का वास पटवार क्षेत्र एड सिणघरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 71,72,72/2 कुल रकबा 48–02 बीधा एवं खसरा संख्या 72/1,72/3 कुल रकबा 47–18 बीधा भूमि के सवंध में सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही तहसीलरदार सिणधरी करावें। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार वहन किया जावेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीनी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर सम्मा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 20/6/18 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner